भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1670

जिसका उत्तर मंगलवार, 6 अगस्त, 2024/15 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया

भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकरण की निगरानी किया जाना

1670. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एक्चुएरीअल कार्मिकों/निवेश प्रबंधकों के कार्य-निष्पादन की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी/पद के कार्यभार की संपरीक्षा करने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने पॉलिसीधारकों के लिए बोनस में वृद्धि करने का प्रयास करते हुए प्रति पॉलिसी लागत में किस प्रकार कमी की है;

(घ) क्या सरकार अब भी एलआईसी के कार्यकरण की निगरानी करती है; और

(ङ) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम की प्रत्येक पॉलिसी सरकार की संप्रभु गारंटी द्वारा समर्थित होती है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने यह सूचित किया है कि बीमांकिक कोर समूह में शामिल किए गए कर्मचारी अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित स्थायी समिति द्वारा वार्षिक समीक्षा के अध्यधीन होते हैं, जो कार्य-निष्पादन और उनके योगदान की समीक्षा करती है। एलआईसी में निवेश प्रबंधकों के कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की एक प्रणाली है। उनके लक्ष्य वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निर्धारित किए जाते हैं और प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों और संबंधित बेंचमार्कों के आधार पर उनकी अर्धवार्षिक और वार्षिक समीक्षा की जाती है।

(ख): एलआईसी द्वारा कार्यभार संबंधी कोई समीक्षा नहीं की गई है। तथापि, कंपनी में प्रत्येक कर्मचारी/पद के कार्यभार का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के आरंभ में निर्धारित मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से किया जाता है और इसकी समीक्षा वर्ष में दो बार की जाती है।

(ग): एलआईसी ने यह सूचित किया है कि प्रति पॉलिसी औसत लागत में कोई कटौती नहीं की गई है और विगत तीन वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं के लिए बोनस की दरों को बनाए रखा गया है।

(घ): जीवन बीमा निगम जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, बीमा अधिनियम, 1938, इरडाई (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) अधिनियम, 1999 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों से अभिशासित होता है। एलआईसी के एक सूचीबद्ध संस्थान होने के कारण प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के उपबंध भी इस पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, एलआईसी बोर्ड अभिशासित वाणिज्यिक संस्थान है और इसके पास ठोस कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली है। सरकार द्वारा नियमित अंतरालों पर एलआईसी के कार्य-निष्पादन की समीक्षा भी की जाती है।

(ङ): जी हां, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 37 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार ।

******